

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302005

(दूरभाष नं०:-0141-2740837, फ़ैक्स:- 0141-2742309, ई मेल:-jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:- एफ.4(ई)(एस-1762/2013)/अलेसे-II/5624

दिनांक:- 19-3-25

कार्यालय आदेश

श्री सुरेश बैरवा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II (लिंक नं. 12118) कार्यालय आयुक्त, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग जयपुर को उनके आवेदन पत्र के अनुसार दिनांक 27.08.2024 कुल 01 दिवस का उपार्जित अवकाश राजस्थान सेवा नियम खण्ड-I के नियम 91 सपठित राजस्थान सेवा नियम खण्ड-II के परिशिष्ट-IX के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के तहत स्वीकृत किया जाता है।

अतः इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ.4(ई)(1)(6)पदस्थापन/अलेसे-II,III/1132 दिनांक 15.10.2024 में आंशिक संशोधन करते हुए कम संख्या 22 पर अंकित श्री सुरेश बैरवा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II के कॉलम संख्या 06 में अंकित वेतन भुगतान आहरण अवधि दिनांक 28.08.2024 से 30.09.2024 के स्थान पर दिनांक 27.08.2024 से 30.09.2024 पढ़ा जावे।

(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन

संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ.4(ई)(एस-1762/2013)/अलेसे-II/5624

दिनांक:- 19-3-25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. कार्यालय आयुक्त, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि स्वीकृत उपार्जित अवकाश अवधि का नियमानुसार सेवा पुस्तिका में इन्द्राज करावें तथा निदेशालय कोष एवं लेखा, जयपुर में "आदेशों की प्रतीक्षा अवधि" का वेतन आहरण कर संबंधित को भुगतान करावें।
2. श्री सुरेश बैरवा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II कार्यालय आयुक्त, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, जयपुर।

Signature valid

Digitally signed by Bhupesh Kumar Mathur

Designation: निदेशक एवं पदेन

Date: 2025.03.10 17:56:53 IST

Reason: Approved